



AHC:125735:2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18730 वर्ष 2026

रामु उर्फ गौरव सिंह

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता

:

राम प्रसाद यादव

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता।

:

जी.ए. राजेश कुमार यादव, रंजना यादव

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद यादव, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत आवेदन मामले संख्या 12/2026, बी.एन.एस. की धारा 74, 64(1) के तहत, पुलिस स्टेशन समथर, जिला झांसी में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ितों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जबकि पीड़िता ने धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.03.2026 से जेल में बंद है। यदि

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.03.2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जेलों में भीड़भाड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, और शीर्षस्थ न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765 मामले में जमानत देने के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **रामू उर्फ गौरव सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो जमानतदार और व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति **झांसी के जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए। यह आदेश जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।